डा0 अज़ीज़ कुरैशी
राज्यपाल, उत्तराखण्ड़
एवं
कुलाधिपति, गो0ब0प0 कृषि एवं
प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या /जी0एस0/C2-4-2/शिक्षा/2013
देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2013

आदेश

गो0ब0प0 कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर के वर्तमान पदधारक कुलपति का कार्यकाल दिनांक 07–02–2013 को पूर्ण हो रहा है।

यह कि विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया विचाराधीन है तथा यह सम्भव नहीं है कि वर्तमान कुलपति के कार्यकाल की अवधि, दिनांक 07–02–2013 की समाप्ति से पूर्व नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो जाये।

एतदद्वारा मैं, डा0 अजीज़ कुरैशी, कुलाधिपति गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–11 उपधारा–6 (अ,ब एवं स) के अन्तर्गत कुलाधिपति में निहित शक्तियों के अधीन वर्तमान पदधारक श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0, अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड का कुलपति पद का कार्यकाल दिनांक 08–02–2013 से अग्रेत्तर 06 माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

ह0/

डा0 अज़ीज़ कुरैशी
कुलाधिपति।

3936
संख्या (1)/जी0एस0/C2-2/शिक्षा/2013 दिनांक फरवरी 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नियमित कुलपति की नियुक्ति हेतु पैनल महामहिम कुलाधिपति को उपलब्ध कराने हेतु।
3. श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0, अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, (मानव संसाधन विकास) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. कुलसचिव, गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर–उधमसिंहनगर।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक)
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।